

कार्यालय मुख्य प्रबन्धक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम जालोर आगार,
कमांक:-मुप्रजा/संस्था 11/2018/740 दिनांक:- 31.10.18

निविदा सूचना

विषय:- जॉब बेसिस पर आगार कार्यशाला में वाहनो के मरमत कार्य करने हेतु निविदा।
जालोर आगार कार्यशाला में तकनिकी कर्मचारीयो की कमी के आधार पर निगम वाहनो के मरमत संबन्धित निम्न लिखित कार्य वीतीय वर्ष 2018-19 जॉब वर्क बेसिस कार्य करने हेतु निविदा आमत्रित की जाती है, निम्नलिखित कार्य के इच्छुक पंजीकृत फर्म/संस्था/जॉब बेसिस पर कार्य करने हेतु अपने कोटेशन दिनांक 19.11.2018 को दोहपर 2 बजे तक मुख्य प्रबन्धक जालोर आगार के कार्यालय में मय बन्द लिफाफे में जमा करवाये एंव उसी दिन न्युनतम दर वाली फर्म, संस्था, को उक्त कार्य हेतु आगामी कार्यवाही हेतु आगारीय कमेटी द्वारा अभिशंषा कर दी जावेगी।

अतः इच्छुक प्रार्थी विस्तृत नियम व शर्तो के लिये मुख्य प्रबन्धक जालोर आगार के कार्यालय में सर्म्पक कर सकते है।

निगम वाहनो के कारयो का विवरण

कार्य करने कि दर/राशि

1. वाहनो के पुराने इंजिन उतार कर आर सी इन्जन लगाना।
2. वाहनो के पुराने गियर उतार कर आर सी गियर लगाना।
3. क्लच प्लेट व प्रेशर प्लेट बदली करना।
4. वाहन के आगे पीछे की कमानी बदली करना।
5. टायरो को समय पर रोटेशन करना पंचर निकलना व हवा का दबाव सही रखना।
6. 40,000 डॉकिंग कार्य करना।
7. फयुल इन्जेक्टर पम्प व इजेक्टर बदली करना व इंजन ट्यून अप वाल्व क्लीयरन्स करना डीजल औसत में सुधार।

शर्तो:-

1. फर्म को भुगतान किराये गये कारयो के प्रमाणिकता के आधार पर ही किया जायेगा, किसी व्यक्ति कि विशेष की उपस्थिति /अवधि के आधार पर नहीं होगा।
2. फर्म का कार्य सन्तोषजन होने पर समान शर्तो/दरो के आधार पर अनुबन्ध आगे बढ़ाया जायेगा।
3. फर्म द्वारा कार्य नहीं करने अथवा कार्य में अनियमितता होने की स्थिति में पेन्ट्टी होगी।
4. आगार कार्यशाला परिसर में कार्य के दौरान फर्म के किसी भी श्रमिक के दुर्घटनाग्रस्त/मृत्यु होने की स्थिति में निगम प्रशासन का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा। श्रमिक के सा.विश्राम का दायत्व फर्म का होगा,
5. फर्म का कार्य सन्तोषजनक नहीं होने की स्थिति में 15 दिवस के पूर्व नोटिस पर ठेका समाप्त किया जावेगा।
6. फर्म के किसी भी श्रमिक को ड्युटी पास, नि:शुल्क यात्रा पास, पहचान पत्र, अथवा किये गये कार्य का कोई भी प्रमाण पत्र किसी भी स्थिति में नहीं दिया जावेगा।
7. फर्म के किसी भी श्रमिक को व्यक्तिगतरूप से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।
8. फर्म के किसी भी श्रमिक को आगार कार्यशाला से किसी भी प्रकार का सामान जारी नहीं किया जावेगा दूल्स फर्म द्वारा ही उपलब्ध करना होगा,

मुख्य प्रबन्धक जालोर